

सेवा,

बाबू राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा कोष-2 समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुदान

संज्ञक: दिनांक 8 जून, 2006

विषय :- स्वार्थम पब्लिक स्कूल परा रोड, राजजीपुरम, लखनऊ को सीबीएसई नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 10/06/06

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये भूते यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सम्बन्धित विद्यालय को सीबीएसई नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों की अर्थात् आपत्ति नहीं है -

- (1) विद्यालय की वार्षिक साक्षात्कार का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें 50% माध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा सम्बन्धित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेटल बोर्ड आफ सेलेक्टेड एजुकेशन नई दिल्ली/प्रोविन्सियल बोर्ड ऑफ एजुकेशन स्कूल सर्टीफिकेट एजुकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषद से संबद्धता प्राप्त होने की स्थिति से 50% माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शैक्षणिक कर्मचारियों का राजस्व सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमति, वेतनमानों तथा अन्य शर्तों से कम वेतनमान तथा अन्य शर्तों नहीं दिये जायेंगे।

—2—

-2-

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमति सेवा नियुक्ति का काम कराया जायेगा।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रारूप पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2- अतिरिक्त यह भी होगा कि साक्षात्कार दिनांक 30-11-91 में अंकित प्रतिबंधों का सम्बन्ध नही होगा।

3- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय का पालन नहीं किया जायेगा तो उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गड़बड़ या गिरावट आती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(बाबू राम)
अनु सचिव।

संख्या-2232(1)/15-7-2006 तद्विनायक

निम्नलिखित निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आनुरोध कर्मचारी हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- माध्यमिक अनुसूचित शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
- 3- शिक्षा निदेशक, मिर्जापुर, लखनऊ।
- 4- मिर्जापुर, अनापत्ति भारतीय विद्यालय 3030, लखनऊ।
- 5- अध्यक्ष, स्वार्थम पब्लिक स्कूल परा रोड, राजजीपुरम, लखनऊ।
- 6- नई दिल्ली।

आज्ञा दी,
(बाबू राम)

